



Neutral Citation No.- 2026:AHC:19186

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-24900 वर्ष 2024

दीपक आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अखिलेश कुमार मिश्रा, देवेन्द्र कुमार, मिंटू कुमार, विनय कुमार सिंह चंदेल

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: अजीत कुमार सिंह, दीपक राणा, शासकीय अधिवक्ता, प्रेम शंकर

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची का पुनः पुकार किया गया।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार मिश्रा, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री प्रेम शंकर के साथ-साथ राज्य के राज्य विधि अधिकारी सुश्री इफरा इस्लामा को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदक केस अपराध संख्या-111 वर्ष 2021, धारा 302, 120-बी भ०द०वि०, थाना-लोनी, जिला: गाजियाबाद के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान ज़मानत मांगता है।
4. आवेदक की ओर से यह दूसरी ज़मानत याचिका है। पहली ज़मानत याचिका को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 2022 के आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-44634 में पारित दिनांक 6.4.2023 के आदेश द्वारा वापस ले लिया गया था, इस प्रकार, वस्तुतः यह पहली ज़मानत याचिका है।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है, लेकिन सूचनाकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष 2025 का एक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 4440 दायर किया गया था और इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.8.2025 के आदेश के माध्यम से कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है।

6. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि आवेदक 14.4.2021 से जेल में बंद है, इस प्रकार, कारावास की अवधि 04 वर्ष 09 महीने निकलती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित आवेदक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, क्योंकि निकट भविष्य में मुकदमे के समापन की कोई संभावना नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

7. ततस्य विपरीत, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता और राज्य विधि अधिकारी ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है।

8. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से मुकदमे की स्थिति मांगी थी। दिनांक 2.12.2025 की उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, इस न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 4440 वर्ष 2025 में पारित दिनांक 14.8.2025 के आदेश के माध्यम से कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है।

9. मुकदमा आगे नहीं बढ़ रहा है और अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया गया है। अभियोजन पक्ष कार्यवाही पर रोक लगाकर और मुकदमे को आगे नहीं बढ़ने देकर आवेदक को कैद में नहीं रख सकता है।

10. **जावेद गुलाम नबी शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 2024 आई.एन.एस.सी. 645** में आरोपी को जमानत देते हुए, उच्चतम न्यायालय ने कहा है:

7. पक्षकारों की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता को सुनने और अभिलेखों पर मौजूद सामग्रियों को देखने के बाद, हम निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता के पक्ष में अपने विवेक का प्रयोग करने के इच्छुक हैं:

(i) अपीलकर्ता पिछले चार वर्षों से विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में है;

(ii) आज की तारीख तक, विचारण न्यायालय आरोप तय करने के लिए भी कार्यवाही नहीं कर पाया है; तथा



(iii) जैसा कि राज्य और एनआईए की ओर से पेश अधिवक्ता ने बताया है, अभियोजन पक्ष कम से कम अस्सी गवाहों से पूछताछ करने का इरादा रखता है।

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमें आश्चर्य है कि किस अवधि तक, परीक्षण अंततः समाप्त हो जाएगा। अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, एक अभियुक्त को भारत के संविधान के तहत निहित त्वरित सुनवाई का अधिकार है।

9. समय के साथ, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय कानून के एक बहुत अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत को भूल गए हैं कि ज़मानत को सजा के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए।

10. उपरोक्त संदर्भ में, हम विचारण अदालतों और उच्च न्यायालयों को याद दिला सकते हैं कि इस न्यायालय द्वारा **गुडिकांति नरसिम्हलु और अन्य बनाम लोक अभियोजक, उच्च न्यायालय द्वारा (1978) 1 एस.सी.सी. 240** में रिपोर्ट की गई थी। हम उद्धृत करते हैं:

"जिसे अक्सर भुला दिया जाता है, और इसलिए याद दिलाया जाता है, वह किसी व्यक्ति को सुनवाई या अपील के निपटान तक न्यायिक हिरासत में रखने का उद्देश्य है। लॉर्ड रसेल, सीजे, ने कहा [आर बनाम रोज, (1898) 18 कॉक्स]:

"मैंने देखा कि इस मामले में कैदी के लिए ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया था। यह देश के मजिस्ट्रेट पर बहुत दृढ़ता से प्रभावित नहीं किया जा सकता है कि ज़मानत को सजा के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए, बल्कि यह कि ज़मानत की आवश्यकताएं केवल मुकदमे में कैदी की उपस्थिति को सुरक्षित करने के लिए हैं।

11. उच्चतम न्यायालय ने गुरबखश सिंह सिब्बा बनाम उच्चतम न्यायालय में इसी सिद्धांत को दोहराया था। पंजाब राज्य, (1980) 2 एस.सी.सी. 565; हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य (1980) 1 एस.सी.सी. 81; कादरा पहाड़िया और अन्य बनाम बिहार राज्य (1981) 3 एस.सी.सी. 671 और अब्दुल रहमान अंतुले बनाम आरएस नायक (1992) 1 एस.सी.सी. 225; मोहम्मद मुस्लिम @ हुसैन बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) 2023 आई.एन.एस.सी. 311; एक दोषी कैदी बनाम राज्य 1993 सीआरआई एलजे 3242; भारत संघ बनाम केए नजीब (2021) 3 एस.सी.सी. 713; इंद्राणी प्रतिम मुखर्जी बनाम सीबीआई, 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 695।



12. सैंथिल बालाजी बनाम प्रवर्तन निदेशालय के उप निदेशक 2024 INSC 739 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, आरोपी को 15 महीने से अधिक समय तक जेल में रखा गया था, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की कि "मुकदमे के समापन में अत्यधिक देरी और ज़मानत देने के लिए उच्च सीमा एक साथ नहीं चल सकती है"।

13. सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2022) 10 एस.सी.सी. 51 में रिपोर्ट किए गए मामले में, लंबे समय तक कैद और अत्यधिक देरी ने अदालत का ध्यान आकर्षित किया, जिसने धारा 37 एन.डी.पी.एस. अधिनियम सहित कई अधिनियमों के संबंध में ज़मानत के प्रति सही दृष्टिकोण पर विचार किया।

14. उच्चतम न्यायालय ने एस.एल.पी. (सीआरएल) संख्या 10455-10456/2025 रामनाथ मिश्रा @ रामनाथ मिश्रा बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो में पारित अपने नवीनतम फैसले में दोहराया कि अदालतों द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दों को अत्यंत तेजी से संबोधित किया जाना चाहिए। आरोपी पहले ही तात्कालिक और संबंधित मामलों में साढ़े तीन साल से अधिक समय से जेल में बंद था। उच्च न्यायालय द्वारा अपने आवेदन पर निर्णय लेने में अत्यधिक देरी के कारण आरोपी को ज़मानत पर रिहा करने में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों के लिए त्वरित निर्णय लेने पर जोर देते हुए, लंबे समय तक पूर्व-परीक्षण कारावास को भी ध्यान में रखा गया।

15. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक काफी समय के लिए जेल में है और निकट भविष्य में मुकदमे के समापन की कोई संभावना नहीं है क्योंकि सूचनाकर्ता द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण के आधार पर कार्यवाही को रोक दिया गया है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने ज़मानत के लिए मामला बनाया है। ज़मानत आवेदन की अनुमति है।

16. आवेदक- दीपक, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।



(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

17. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

18. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

28 जनवरी, 2026

विकास वर्मा

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)